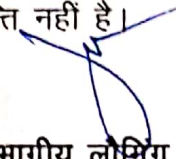


गौला कार्पस निधि में धनराशि जमा किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गौला उपखनिज चुगान हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या 8-61/1999-एफ.सी. दिनांक 23.01.2013 द्वारा पूर्व में अनुमति प्राप्त हुई थी एवं उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 878/X-3-10 दिनांक 14.12.2010 एवं पत्र सं0 123/X-3-2013-8(14) 2009 दिनांक 29.01.2013 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी द्वारा अपनी स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में उक्त स्थिति, गौला कार्पस फण्ड हेतु आवश्यक धनराशि वन विकास निगम द्वारा जमा की जाएगी। वन विकास निगम को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है।


प्रभागीय लोमिंग प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.